



एक नजर में

गांव कनघड़ी में 20 फरवरी को होगा सरसों संगम कार्यक्रम का आयोजन

मंदसौर 120 फरवरी 2026 को राजस्थान राज्य की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के पश्चिम जिले मंदसौर में पहली बार 'सरसों संगम' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संस्था सॉल्लिडरिडाड तथा द सॉल्लिडर एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (रश्म) के तत्वावधान में आयोजित होगा। इस सरसों संगम कार्यक्रम में आसपास के सरसों उत्पादक जिलों—मंदसौर, रतलाम, नीमच (मध्य प्रदेश) तथा प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)—से लगभग 2000 से अधिक किसान भाई भाग लेंगे। कार्यक्रम में सांसद महोदय, द सॉल्लिडर एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. बी. वी. मेहता जी, तथा विभिन्न सहयोगी कंपनियों के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नाबार्ड, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (हड्डुहड्डुशुद्ध श्वसदुद्धदुद्ध हड्डुहड्डुहड्डु)' के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों को बढ़ावा देना और किसानों को बाजार से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान नई तकनीकी जानकारी, पुनर्जीवी कृषि पद्धतियाँ, किसान उत्पादक संगठन (सख्क), ग्रीन एनर्जी, बायो-इन्पुट्स तथा जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही इन क्षेत्रों में कार्य कर रही अनेक उद्यमी संस्थाएँ और कंपनियाँ अपनी प्रदर्शनी (एक्सपोजिशन स्टॉल) भी स्थापित करेंगी। यह जानकारी सॉल्लिडरिडाड संस्था के प्रतिनिधि द्वारा साझा की गई।

गरौट में विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला आज

मंदसौर। म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मंदसौर जिले में विकासखण्ड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक जनपद पंचायत परिसर, गरौट में किया जाएगा। यह जानकारी मिशन से श्री अनिल मरावी द्वारा दी गई। रोजगार मेले में नवभारत फर्टिलाइजर्स (इंदौर), मारुति सुजुकी (गुजरात), लाइम कंपनी (अहमदाबाद), एस.आई.एस. इंडिया (नीमच), मुधुत माइक्रो फाइनेंस (बांसवाड़ा, राजस्थान), एलआईसी लाईफ इंश्योरेंस (मंदसौर), गैल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (गुना), एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस (मंदसौर), सिद्धिविनायक बाँयो फर्टिलाइजर्स (मंदसौर), अटोला ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज (दलोदा), एलएनटी फाइनेंस (इंदौर), एस.के.एम.पी. मीडिया टेक्नोलॉजी प्रा.लि. (पिपलिया मंडी) सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा लाईफ मित्र, सेल्स ऑफिसर, फोल्ड ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ट्रेनि. कस्टमर केयर, इंश्योरेंस एजेंट, सिविल सिक्वोरिटी गार्ड, कलेक्शन ऑफिसर, वेल्डर, सीएनसी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रंटलाइन स्टाफ, कलेक्शन स्टाफ एवं अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मेले में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा/रिज्यूमे, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक अंकसूचियों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर आएँ। अधिक जानकारी के लिए म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत मंदसौर (म.प्र.) के दूरभाष क्रमांक 07422-292016 पर संपर्क किया जा सकता है।

लहसुन चिप्स गबन कांड में दो माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं

► पिपलियामंडी के व्यापारी ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा आरोपी रसूखदार, मुझे ही बार-बार बुलाकर किया जा रहा परेशान

पिपलियामंडी। पिपलियामंडी के एक व्यापारी के साथ करीब एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत के मामले में दो माह बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी को पकड़ने के बजाय उन्हें ही बार-बार थाने बुलाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

फरियादी सुनील पिता मोहनलाल जैन, निवासी महात्मा गांधी मार्ग, पिपलियामंडी ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद अब तक उन्हें छह बार यशोधर्मन नगर थाने पर बयान देने के लिए बुलाया गया है। जबकि वे पहले ही विस्तृत बयान दे चुके हैं और केस की कागजी भी हो चुकी है। उनका आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली और रसूखदार होने के कारण पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रही

110 रुपये किलो में हुआ था सोदा

फरियादी के अनुसार 24 फरवरी 2025 को उक्त लहसुन चिप्स का सोदा जय दुर्गा मॉ ट्रेडर्स, पिपलियामंडी के साथ 110 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से किया गया था। अनुबंध के अनुसार अगस्त 2025 तक माल की डिलीवरी देना तय था। डिलीवरी की तिथि नजदीक आने पर जब कोल्ड स्टोरेज संचालक से संपर्क किया गया तो वह बार-बार 'दो-चार दिन में माल देने' का आश्वासन देता रहा। लगातार टालमटोल से शंका होने पर जब सुनील जैन स्वयं जगगाखेड़ी स्थित कोल्ड स्टोरेज पहुंचे तो परिसर खाली मिला। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि संचालक पूरा माल उठाकर कोल्ड स्टोरेज बंद कर चला गया है। बाद में नीमच जाकर संपर्क करने पर भी आरोपी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और न ही माल लेटाया। पीड़ित व्यापारी के अनुसार लगभग 3507 बैग लहसुन चिप्स, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। पुलिस ने मामले में जांच के बाद सुनील जैन एवं उनके भाई दिलीप जैन के कथन दर्ज किए। प्रारंभिक जांच में आरोपी संदीप चौधरी के विरुद्ध 4 नवम्बर 2025 को धारा 316(2) बीएनएस के अंतर्गत संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारिक वर्ग में भी नाराजगी व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो भंडारण और व्यापार व्यवस्था पर विषय डगमगा सकता है। मामले में अब सबकी नजर पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। पीड़ित व्यापारी ने जल्द गिरफ्तारी और माल अथवा राशि की वसूली की मांग की है, ताकि उसे आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके।

हे। सुनील जैन ने बताया कि आरोपी नीमच में खुलेआम व्यापार कर रहा है और सामान्य रूप से घूम रहा है, लेकिन गिरफ्तारी की दिशा में ठोस कदम नजर नहीं आ रहे। उन्होंने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के समक्ष भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

टीआई ने कहा, गिरफ्तारी के प्रयास जारी:- पुलिस थाना यशोधर्मन नगर टीआई शिवांगु मालवीय ने बताया कि प्रकरण दर्ज है और विवेचना जारी है। फरियादी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2019 से जमा था माल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुनील जैन अपने भाई दिलीप जैन के साथ लहसुन चिप्स का कमीशन एजेंट के रूप में व्यापार करते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने अपना माल भंडारण के लिए नाकोड़ा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र जगगाखेड़ी, मंदसौर में रखा था। उक्त कोल्ड स्टोरेज एंड आइस प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र जगगाखेड़ी, मंदसौर में रखा था। उक्त कोल्ड स्टोरेज के संचालक संदीप पिता रमेशचंद्र चौधरी (जैन), निवासी 197, जवाहर नगर, नीमच है। रिपोर्ट के अनुसार 13 जनवरी 2019 से 3 मई 2019 के बीच विभिन्न तिथियों पर कुल 2893 बैग लहसुन चिप्स रसीद क्रमांक 2110, 2263, 2248, 2246, 2244 एवं 1219 के माध्यम से जमा किए गए थे। इसके अलावा 20 जून 2019 को 319 बैग तथा 20 जून 2021 को 318 बैग और जमा किए गए। इन अतिरिक्त बैगों की पक्की रसीद नहीं दी गई, बल्कि कच्ची रसीद देकर आश्वासन दिया गया कि रसीद बुक छपने के बाद पक्की रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी। 16 नवम्बर 2020 को 23 बैग वापस प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल 3507 बैग लहसुन चिप्स अमानत माल के रूप में कोल्ड स्टोरेज में जमा थे।

एक नजर

विद्युत वितरण कं. के नवपदस्थ अधीक्षण अभियंता आठनेरे का फेडरेशन ने किया स्वागत

मंदसौर को उत्कृष्ट स्थान पर बनाए रखेंगे : योगेश आठनेरे

मंदसौर। म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी मंदसौर के नवपदस्थ अधीक्षण अभियंता योगेश आठनेरे के मंदसौर आगमन पर आज म. प्र. विद्युत कंपनी कर्मचारी संघ फेडरेशन द्वारा स्वागत सम्मान किया गया।

इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री डी एस चंद्रावत द्वारा स्वागत भाषण देते हुए कहा कि मंदसौर वृत्त के सभी कर्मचारी बेहतर उपभोक्ता सेवा, राजस्व वसूली और लाइन लॉस कम करने हेतु कृत संकल्पित हैं। कर्मचारियों कि हल होने लयक समस्याओं का निराकरण समय सीमा में होना चाहिए। अधीक्षण अभियंता योगेश आठनेरे ने अपने उद्घोष में कहा है कि मंदसौर वृत्त में सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों को साथ लेकर टीम भावना से कार्य करते हुए मंदसौर को उत्कृष्ट स्थान पर बनाए रखेंगे। सभी



कर्मचारियों को अपने अपने कार्य को पूर्ण सुरक्षा के साथ करते हुए त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय निर्धारित समय में प्रदान करें। सभी कर्मचारियों कि हल होने लयक

समस्याओं का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में मंदसौर के रीजनल सेक्रेटरी अरुण राठौर, अध्यक्ष नरेंद्र राव नवल,

वृत्त अध्यक्ष दिलीप शर्मा, सचिव यश जमरा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज पटेल, बी डी विजयवर्गीय, श्रीमती नेहा सोमपुरा, श्रीमती पुष्पा धनोतिया, शंकर खरे, कमलेश दायमा,

हरिवल्लभ डपकरा, सुरेंद्र चंद्रावत, नारायण शर्मा, प्रकाश लोहार, राहुल सेन, भूपेंद्र गोस्वामी, सुरेश मालवीय, प्रदीप जोशी, शोभित श्रीवास्तव, दिलीप धाकड़, खेमराज दायमा, फरीद हुसैन, नरेंद्र आर्य, प्रकाश मिमरोट, तेजमल साधु, रामचंद्र भट्ट, संदीप पाटीदार, हिरालाल सिनम, अमित कोचट्टा, देवेन्द्र सिंह चौहान, सुनील सोलंकी, विजेंद्र सिंह चौहान, वीरेंद्र हाडा, शाहिद खान, अंबालाल गहलोत, मनोज बबाना, लक्ष्मीनारायण कुशवाह, कारुलाल जाटव, बंटी कुमावत, द्वारका चंद्रवंशी, प्रकाश गिरी, मल्हारगढ़ अध्यक्ष जावेद हुसैन बाबर, सचिव सनी त्रिवेदी, मनोज कारपंटर, परमानंद सूर्यवंशी, सीतामऊ संभाग के सचिव श्याम चौधरी एवं कई सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे।

नीमच

एक नजर में

डारिया में नवीन 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमिपूजन आज

नीमच। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डारिया में 1.69 करोड़ की लागत से बनने वाले एएसटीडी योजना अंतर्गत नवीन 33/11 केवी 3.15 एमवीए उपकेंद्र का भूमिपूजन आज सांसद सुधीर गुप्ता के विशिष्ट आतिथ्य, विधायक दिलीपसिंह परिहार के मुख्य आतिथ्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सजजगर्भ सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना खण्डेलवाल, जनपद पंचायत नीमच अध्यक्ष शारदा मदनलाल धनगर, भाजपा भादवामाता मण्डल अध्यक्ष पूजा अनिल शर्मा, जनपद पंचायत सदस्य वासुदेव मेघवाल, ग्राम पंचायत अडमालिया सरपंच शांतिलाल कछवावा के विशेष आतिथ्य में होगा।

रामपुरा में निःशुल्क नेत्र रोग, मोतियाबिंद जांच शिविर संपन्न, 136 नेत्र रोगियों ने लिया लाभ

नीमच। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश एवं जिले में संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जिले में नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली में मोतियाबिंद शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद एवं बी. एम. ओ. डॉ. उमेश बंसौर के मार्गदर्शन में नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. संगीता भारती, मेडिकल ऑफिसर डॉ. अभिषेक चौहान, नेत्र चिकित्सा सहयक श्री प्रकाश सिंधवानी के सहयोग से समस्त आशा, आशा सूर्यभारंजर, अर्बन आशा के सहयोग से नेत्र रोगियों की जांच की गई। संकल्प से समाधान अभियान के तहत बुधवार को आयोजित इस नेत्र रोग जांच एवं मोतियाबिंद की जांच के निःशुल्क शिविर का 136 नेत्र रोगियों ने लाभ उठाया। इसमें मोतियाबिंद के 18, नायुना के 13, दूरबीन नजर के चरम के लिए 8, आंखों की एलर्जी के 18, तथा पास की नजर के चरम के लिए 47 एवं 6 अन्य नेत्र रोगियों की जांच की गई। 125 अन्य नेत्र रोगियों की जांच कर तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियां वितरित की गईं।

खनिज का अवैध परिवहन एक डंपर एवं तीन ट्रैक्टर वाहन जब्त

नीमच। जिला खनिज अधिकारी गजेन्द्र सिंह डाबर ने बताया, कि खनिज टीम द्वारा अवैध उखन परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नयागांव एवं मनासा क्षेत्र में बुधवार को रेत का अवैध परिवहन करते चार वाहनों को जब्त किया गया है। जप्त वाहनों को पुलिस थाना मनासा एवं नयागांव की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खंडा किया गया है। जप्त वाहनों में रेत डम्पर पंजीयन क्र.आर.जे.09 जी.डी.09बी.डी.980बी, ट्रैक्टर न्यू पॉवर ट्रैक, महिन्द्रा 275 एवं महिन्द्रा 475 शामिल है। विभाग द्वारा म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

मनासा में कॉलोनी विकास की अनुमति जारी

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा की अनुशांसा पर आवेदक, कॉलोनी आर्जर दिलीप कुमार पिता मागीलाल वर्मा को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कब्जा मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 315/1/1 रकबा 0.807 हे.व.सर्वे नं. 315/1/2 रकबा 0.002 कुल रकबा 0.809 हे.भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी 'मालवा पेराडाइज' को विकसित करने की अनुमति सशर्त जारी की गई है। कलेक्टर द्वारा कब्जा मनासा स्थित कॉलोनी 'मालवा पेराडाइज' के बंधक भूखण्ड क्रं.5 से लगायत 16 व 29 लगायत 53 जिनका कुल क्षेत्रफल 3295 वर्ग मीटर नगर परिषद के पास बंधक रखे गये है।

विधायक परिहार ने किया सावन बालाजी मंदिर पहुंच मार्ग का भूमि पूजन

नीमच। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावन में 148.60 लाख की लागत से बनने वाले सावन से बालाजी मंदिर पहुंच मार्ग का भूमि पूजन एवं 15 लाख रूपए की लागत से निर्मित डोम का लोकार्पण विधायक दिलीपसिंह परिहार द्वारा किया गया।

इस अवसर पर विधायक दिलीपसिंह परिहार ने कहा कि पहले बालाजी मंदिर तक जाने में ग्रामीणों को कीचड़ से गुजरना पड़ता था, लेकिन सड़क बन जाने के बाद उन्हें आवागमन में आसानी होगी। मध्यम एवं गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र की सभी 68 पंचायतों में सामुदायिक डोम के लिए 15-15 लाख रूपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति पर भी जन्मदिन, विवाह एवं मौसम आदि कार्यक्रमों को करने के लिए आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। गांवों में विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मां भादवा की कृपा से भादवामाता लोक का निर्माण हो रहा है। भादवामाता में 20 बेड का अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर बन रहा है। मां बीसभुजा की कृपा से सावन में भी अस्पताल का भवन बन रहा है। गांव



गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। किसान भाई खेती के साथ साथ गौपालन, भैंसपालन एवं बकरीपालन भी करें। प्रदेश सरकार दूध उत्पादन में मध्यप्रदेश को नं.1 बनाना चाहती है। इसके लिए डॉ.भीमराव अम्बेडकर योजना के तहत पशुपालकों को 20 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। देश में कृषि लाभ का बंधा बने, किसानों की आय दोगुना हो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के

नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार गांव गांव में विकास कार्यों की गंगा बहा रही है।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके किए कार्यों को याद करते हुए श्री परिहार ने कहा कि पं.दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म और मानववाद पर जोर दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉ.मोहन

यादव सबका साथ सबका विकास के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए पुनः विश्वगुरु बनाने के कार्य में लगे हैं। जो राम जी योजना के माध्यम से अब गांव के विकास की योजना गांव के पंच और सरपंच मिलकर बनाएंगे। इस योजना में अब 125 दिन की मजदूरी दी जाएगी। अगर कोई बेरोजगार रहेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। गांधीसागर का पानी नीमच जिले के प्रत्येक गांवों में लाने की योजना मंजूर हो गई है। खेत सड़क योजना भी शीघ्र प्रारंभ होगी। गांवों में कुटीर उद्योग स्थापना के लिए सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती शारदाबाई मदनलाल धनगर, भाजपा जिला महामंत्री धनसिंह के.थवास, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अर्जुनसिंह सिसोदिया, निलेश पाटीदार, मंडल अध्यक्ष श्रीमती पूजा अनिल शर्मा, महामंत्री मेश गजूर, जनपद सदस्य रतन मालावत, सरपंच जितेंद्र माली, लाला सेन, पूर्व सरपंच मानसिंह गुर्जर, सरपंच देवकिशन शर्मा, दिलीप पुरोहित, नवलकृष्ण सुरावत एवं बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सावन के ग्रामवासियों उपस्थित थे।



जिला पंचायत सीईओ वैष्णव ने किया लहसुन प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण

नीमच। जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (इक्विलिटी) तहत चौरा में स्थापित लहसुन प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया गया। यह इकाई श्री पूरबसिंह पिता श्री पुनीत सिंह, निवासी नीमच द्वारा चौरा कृषि उपज मंडी के पास स्थापित की गई है।

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्णव ने हितग्राही से इकाई का स्थापना लागत, प्राप्त अनुदान, बैंक ऋण तथा संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त की। हितग्राही ने बताया, कि इकाई की कुल लागत 34 लाख रुपये है, जिसमें 30 लाख रुपये बैंक ऋण के रूप में तथा 10 लाख रुपये शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं।

योजना का लाभ प्राप्त कर हितग्राही आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है तथा निकमिंत रूप से बैंक ऋण की किरतों का भुगतान कर रहा है। उक्त इकाई के माध्यम से 7 से 8 स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी श्री संदीप कुमार प्रजापत तथा जिला रिसोर्स पर्सन (इक्विलिटी योजना) श्री सुभाष चंद्र शर्मा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है, कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जिले में स्थापित इकाइयों स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं और किसानों एवं उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

एक नजर

350 करोड़ की परियोजना का निर्माण फिर से होगा शुरु

हाईकोर्ट ने मोरवन फैक्ट्री से हटाया स्टे, जनहित याचिका खारिज

नीमच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जावद तहसील के मोरवन गांव में प्रस्तावित सुविधि रैयॉन्स मोरवन टेक्स्टाइल फैक्ट्री पर लगे अंतरिम स्टे को हटा दिया है। इस फैसले से फैक्ट्री प्रबंधन और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, जिससे लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों और किसान संगठनों द्वारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फैक्ट्री जिस भूमि पर बन रही है, वह चरनोई (चारागाह) भूमि है और इसका डायवर्सन नियमों के विपरीत किया गया है। इस फैसले से फैक्ट्री प्रबंधन और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, जिससे लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिससे निर्माण कार्य रुक गया था। किसानों ने फैक्ट्री को जलस्रोतों और बांधों के पास बताते हुए पर्यावरण और जल संकट की आशंका जताई थी। प्रशासन के साथ कई बार धरना-प्रदर्शन, जापन और बैठकों के माध्यम



से सहमति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन दर्ज मामलों को वापस लेने और परियोजना रह कर देने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई थी। हाईकोर्ट में राज्य शासन और

एमपीआईडीसी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि भूमि का डायवर्सन विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किया गया है और कलेक्टर को इसके अधिकार हैं। उन्होंने यह भी बताया

कि फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का दावा था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण निरस्त माना जाना चाहिए और जमीन मूल मालिकों को वापस दी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार पूरी की गई है और परियोजना पर काम भी शुरू हो चुका है। शासन ने इसे जनहित से जुड़ा विकास कार्य बताया है।